भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1565
27 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

मैदानी क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को वेतन और भत्ते

1565. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदानी क्षेत्रों, ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, में तैनात सशस्त्र बल कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) जब सैनिकों को मैदानी क्षेत्रों में तैनात किया जाता है तो उनके परिवारों को वेतन और भत्ते का लाभ प्रदान करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कर्मियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सभी सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान उनके संबंधित वेतन लेखा कार्यालयों द्वारा प्रति माह उनके बैंक खातों में उनकी तैनाती स्थल पर विचार किए बिना किया जा रहा है । अभिलेख कार्यालय (कार्यालयों) द्वारा इन बैंक खातों के ब्यौरों को उनके नामांकन के समय निर्धारित बैंक अधिदेश में प्रस्तुत किया जाता है और इन्हें अद्यतन रखा जाता है । बैंक खातों को खोलने के स्थानों का विचार किए बिना अब इन्हें कहीं से भी संचालित किया जा सकता है ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के परिवार उनके आश्रितों के रूप में अतिरिक्त एटीएम कार्डों सहित सभी प्रयोजनार्थ बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, वेतन लेखा कार्यालयों द्वारा (यदि जेसीओ/अन्य रैंक (ओआर) एवं अधिकारियों द्वारा विकल्प दिया गया हो) ऐसे सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों, जो फील्ड क्षेत्रों में तैनात हैं, के परिवारों को धनराशि भेजने के लिए एफएएमओ (परिवार आवंटन मनी आर्डर) का भी प्रावधान जारी है ।

(ग): जी, नहीं ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

******